न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (एस.डी.ओ.) सिणधरी

पीठासीन अधिकारी :श्री जगदीश सिंह आशिया, आर.ए.एस.

राजस्व आवेदन संख्या 207/2022

प्रार्थी बनाम विप्रार्थीगण

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिणधरी — मालाराम व अन्य

राजस्व आवेदन अन्तर्गत धारा 130,131,136 रा. भू. राज.एक्ट 1956

उपस्थिति–

1. राज.पैरोकार नायब तहसीलदार(उपखण्ड कार्यालय सिणधरी) प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री भंवरलाल सारण अधिवक्ता विप्रार्थी सं. 1 से 4, 8 से 11 व 13
3. श्री अर्जुनराम प्रजापत अधिवक्ता, विप्रार्थी सं. 14,15,17,18
4. शेष विप्रार्थीगण एकतरफा।

–: निर्णयः–

दिनांक–13.08.2024

संक्षेप में आवेदन के तथ्य इस प्रकार है कि श्रीमान् जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/2016/7205–4[illegible] के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर [illegible] किया है,कि राजस्व ग्राम **लोहिड़ा/नाकोड़ा** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि [illegible] मौके पर रास्ते के [illegible] में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत हुआ। बाद पक्षकारान की सुनवाई के भूमिधारक तहसीलदार सिणधरी द्वारा अनुशंषा किये जाने पर राजस्व (ग्रुप–6)

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र क्रमांकःप.3(2)राज–6/2003/पार्ट/04 दिनांक 10.08. 2016 एवं राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–6) विभाग के परिपत्र क्रमांकःप. 3(2)राज–6/2021/पार्ट/91 दिनांक 30.9.2021 के अनुसरण में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू–अभिलेख नियम 1957 के नियम 60 (एच) के तहत प्रस्तावित भूमि को निर्णय दिनांक 14.07.2022 के जरिये गैर मुमकीन रास्ता के रूप में दर्ज करते हुए तहसीलदार को राजस्व रेकर्ड में दर्ज करने हेतु निर्देशित करते हुए कि निजी खातेदारी की भूमि में से चालू स्थाई सार्वजनिक रास्ता सम्बन्धित निजी खातेदारी में रखते हुए नक्शे व जमाबंदी में पृथक से खसरा नम्बर दिया जाकर रास्ते के रकबे सहित किस्म गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये।

विप्रार्थी सं. 14, 15, 17 व 18 द्वारा उक्त आदेश के विरूद्व माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर में दायर अपील सं. 199/2023 अणदाराम व अन्य बनाम तहसीलदार सिणधरी में बाद सुनवाई अपने पारित निर्णय दिनांक 26.02.2024 के जरिये निर्देशित किया कि प्रकरण उपखण्ड अधिकारी सिणधरी को प्रतिप्रेषित कर कि अपीलाधीन आदेश में अंकित अपीलाटस् के उल्लेखित ग्राम लोहिड़ा/नाकोड़ा के खसरा नम्बर 146 व 165 में से वर्तमान मे से कोई रास्ता संचालित नहीं होने से वादग्रस्त भूमि के संबंध में अपीलांट को अपना पक्ष रखे जाने तथा सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के पश्चात यदि अपीलाधीन आदेश में किसी प्रकार से संशोधन की आवश्यकता प्रतीत हो तो पुनः यथोचित आदेश पारित करे।

माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के उक्त निर्णय की पालना में रिमाण्ड प्रकरण पुनः उसी नम्बर पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर पक्षकारान की तलबी जरिये रजिस्ट्रर्ड नोटिस की गई।

विप्रार्थीगण की तरफ से वकुलाय फरीकेन उपस्थित हुए।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विप्रार्थी सं. 14,15,17 व 18 के अधिवक्ता ने अपनी ओर से जवाब अथवा साक्ष्य सबूत प्रस्तुत किये बिना अपनी बहस के मौखिक कथनों में उल्लेखित किया कि प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत आवेदन के तथ्य सारहीन एवं मनगढ़त है, कि (विप्रार्थीगण) अपीलान्टस संख्या 1 से 6 की खातेदारी की भूमि ख०सं० 146 में स्थित है जो [illegible] पर स्थित है व दक्षिणी माठ पर बंधे के लिये राज्य सरकार ने अनुदान से उक्त माठ [illegible] ताकि वर्षा का पानी नहीं जा सके। उक्त माठ पर बड़े–बडे पेड़ खड़े है और [illegible] कोई रास्ता नहीं चलता है, इसी प्रकार अपीलान्ट संख्या 7 की भूमि ख०सं० 165 ग्राम नाकोडा में स्थित है जिसमें से पहले से एक कटाण रास्ता निकलता है जो आगे जाकर मुख्य सडक से मिलता है। ख०सं०

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

165 के पश्चिम में जिन लोगों के खेत है वे पहले से ही मेगा हाईवे से चिपते हुए है और कोई रास्ते की आवश्यकता नहीं है। नरेगा योजना के तहत सडक निर्माण से पूर्व खातेदारों की लिखित सहमति जरूरी होती है, परन्तु उल्लेखित प्रकरण में कोई लिखित सहमति नहीं ली व न ही मौके पर कोई रास्ता चलता है। ऐसी स्थिति प्रार्थी के पैरोकार द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र निरस्त योग्य होने से खारिज फरमाया जावे।

इसके विपरीत शेष विप्रार्थीगण सं. 1 से 4 , 8 से 11 व 13 के वकील द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत जवाब प्रस्तुत एवं लिखित बहस के अभिकंथनों में बताया कि मौके पर पूर्व से चलायमान वर्षो पुराना बारहमासी चालू रास्ता आज भी मौके पर विद्यमान है और आस–पास के कई गांवों को जोड़ते हुए एक सिरे से दूसरे सिरे तक समस्त खातेदार की पूर्व में विधिवत सुनवाई एवं सहमति से गै.मु. रास्ते के रूप में कटाण करवाया गया था, जो कि आस–पास के समस्त जनजीवन के आवागमन हेतु एक मात्र चलायमान विकल्प है। साथ ही कथन किया कि खसरा संख्या 146 के खातेदारान् द्वारा अपनी सुनवाई में प्रस्तुत आपत्ति को दृष्टिगत रखते हुए विप्रार्थीगण की सुविधा के आवागमन एवं उनके समर्थन में अन्य पड़ौस के खातेदारी खेत ग्राम नाकोड़ा केखसरा नम्बर 424/25 मे से जरिये समर्पण के खसरा नम्बर 423/25 रास्ते के रूप में कटाण करवाया गया है। उक्त समर्पण शुदा कटाण मार्ग हेतु प्रस्तावित भूमि खसरा नम्बर 146 में पूर्ण कटाण मार्ग के लम्बवत ही है, जो डामर सड़क मार्ग से अधिकतम 20 मीटर की दूरी तक अवस्थित है। विप्रार्थी सं. 14,15,17 व 18 के खातेदारी के खेत खसरा सं. 146 के समानान्तरण ही रास्ते के रूप में समर्पित भूमि उपलब्ध होने से उक्त रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि समस्त विप्रार्थीगण (अपीलांटस को छोड़ते हुए) अपनी सहमति से चलायमान रास्ते पर भविष्य में पक्की सड़क निर्माण एवं सार्वजनिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कटाण करवाया है, जो सही होने से पूर्व में न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.02.2022 में इस हद तक आशिंक छूट प्रदान की जावे, कि डामर सड़क मार्ग से अधिकतम 20 मीटर की भूमि खसरा नम्बर 424/25 के मुहाने तक खसरा नम्बर 146 में आने वाली भूमि जो कि रास्ते हेतु रखी जावे, जिससे कि खसरा नम्बर 424/25 व अन्य खातेदार डामर सड़क मार्ग से जुड़ सके।

विप्रार्थीगण की बहस के सन्दर्भ में प्रार्थी के पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में अपने आवेदन के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया [illegible] में श्रीमान जिला कलक्टर बाड़मेर के पत्रांकःप.12()(1)राजस्व/20[illegible]05–40 दिन[illegible]10.10.2016 के द्वारा प्राप्त निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन किया है,कि राजस्व ग्राम **लोहिड़ा/नाकोड़ा** पटवार मण्डल **सिणधरी** तहसील सिणधरी की जमाबंदी संवत् 2076–2079 के अनुसार प्रस्तावित निजी खातेदारी की भूमि जो मौके पर रास्ते के

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपयोग में आ रही है,जिसे गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करवाने के हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया। जिस पर पक्षकारान की विधिवत सुनवाई पश्चात् प्रस्तावित नजरी नक्शा अनुसार मौके पर चलायमान बारहमासी रास्ता आमजन की भौतिक सुखाचार हेतु उपयोग में आने पर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 14.07.2022 सही होने से यथावत रखा जावे, परन्तु मौके पर खसरा नम्बर 146 के खातेदार (अपीलांटस) द्वारा प्रस्तुत आपत्ति के सन्दर्भ में इसके लगते हुए खसरा नम्बर 424/25 के खातेदारान् द्वारा उक्त पूर्ववत कटाण मार्ग को प्रशस्त रखने हेतु अपनी खातेदारी में जरिये समर्पण के रास्ते हुए कटाण मार्ग की भूमि प्रस्तावित की गई है को रास्ते के रूप में सम्मिलित किया जावे। तथा डामर सड़क मार्ग से मात्र 20 मीटर की दूरी पर शेष रहने से 20 मीटर की दूरी की भूमि रास्ते कें रूप में खसरा नम्बर 146 के अन्तिम छोर जो कि विप्रार्थी वकील द्वारा अपनी ओर से प्रस्तुत नजरी नक्शा (परिशिष्ट–ब) में उल्लेखित किया है मात्र को ही शामिल करते हुए शेष खसरा नम्बर 146 की भूमि मूल खातेदारो को पुनः लोटाते हुए संशोधित आदेश पारित किया जाता है, तो उन्हे किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है तथा भविष्य में पक्की सड़क निर्माण एवं सार्वजनिक सुख सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कटाण मार्ग (समर्पित खसरा नम्बर 423/25) की भूमि उसी प्रयोजन काम में ली जा सकेगी। इसके अतिरिक्त माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर के निर्णय की पालना में पक्षकारान को सुनवाई हेतु जारी नोटिस में अपीलांटस खसरा नम्बर 165 के खातेदार द्वारा न तो अपनी उपस्थिति प्रस्तुत की न ही कोई उजर एतराज प्रस्तुत किया है, ऐसी स्थिति में जब संबंधित पक्षकार को सुनवाई हेतु पर्याप्त असवर दिये जाने के बाद भी अपना पक्ष अथवा उजर एतराज प्रस्तुत नहीं किये जाने सें स्पष्ट है कि उनकी खातेदारी खेत में पूर्व में पारित निर्णग्य के जरिये गै.मु. रास्ते के रूप में अंकित तरमीम स्वीकार्य है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का विधि के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन एवं विवेचन किया गया। माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त जोधपुर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 26.02.2024 में पारित तथ्यों पर पाया गया कि उभयपक्ष की विधिवत सुनवाई में विप्रार्थी सं. 1 से 4, 8 से 10 व 11 तथा 13 को छोड़कर किसी पक्ष द्वारा कोई भी लिखित साक्ष्य अथवा दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। प्रस्तावित कदीमी रास्ता में 7 खातेदारी के खेतों के कुल 19 खातेदारों को पक्षकार संयोजित करते हुए प्रस्तुत आवेदन में अपीलांट को छोड़ते हुए शेष समस्त खातेदारको की ओर से उनके अधिवक्ता द्वारा न्यायालय निर्णय दिनांक 14.07.2022 को यथावत रखे जाने में अपनी सहमति व्यक्त की है। जहां तक अपीलांट (विप्रार्थी सं. 12) की सुनवाई जाने के कम में उनकी ओर से न तो किसी की उपस्थिति हुई ओर न ही वह स्वयं उपस्थित हुए तथा न ही ऐसी कोई दस्तावेजी साक्ष्य इत्यादि प्रस्तुत नहीं की, जिससे यह स्पष्ट नहीं होता है कि मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

तहसीलदार सिणधरी द्वारा प्रस्तावित कदीमी रास्ता मौके पर चलायमान अथवा मौके पर अवस्थित नहीं हो। अतः प्रथम दृष्टया न्यायालय को इस बात की संतुष्टि है यदि पुनः सुनवाई में विप्रार्थी सं. 12 (अपीलांट सं. 1) को किसी प्रकार की आंपत्ति होती है, तो अवश्य ही सुनवाई में उपस्थित रहते हुए अपना पक्ष रखते। जहां तक अन्य अपीलांट (विप्रार्थी सं. 14 से 19) के अधिवक्ता द्वारा अपनी मौखिक बहस के तथ्यों में उनके खातेदारी के खेत ख.नं. 146 में किसी प्रकार का रास्ता मौके पर चलायमान नहीं होने से उनकी खातेदारी खेत में से नहीं काटा जावे। जहां तक पैरोकार सरकार द्वारा अपने आवेदन में प्रस्तुत इबारत के अनुसार प्रस्तावित चलायमान रास्ते को राजस्व रेकर्ड में गे.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने बाबत पुनः सुनवाई के क्रम में ग्राम लोहिड़ा के खसरा नम्बर 146 के समातान्तरण खसरा 424/25 में समर्पित भूमि खसरा नम्बर 423/25 भूमि जो चलायमान रास्ते का उपयोग आम जन के भौतिक सुखाचार के लिए लिया जा रहा है। खसरा संख्या 146 ग्राम लोहिड़ा में है तथा उससे सटे हुए ग्राम नाकोड़ा में खसरा नम्बर 424/25 आया हुआ है, दोनों खेत ग्राम लोहिड़ा तथा ग्राम नाकोड़ा की सरहद पर आये हुए होने से एक–दूसरे से सटे(सेढ़े लगते) हुए है। ऐसी स्थिति डामर सड़क से लगते हुए खसरा नम्बर 146 में कटाण रास्ते के रूप में प्रशस्त भूमि को समर्पित भूमि खसरा नम्बर 423/25 के लम्बवत दूरी (प्रारम्भतः 20 मीटर की दूरी जो डामर सड़क मार्ग से लगी हुई है, तक छोड़ते (मूल खातेदारो को पुनः लौटाने हेतु) राजस्व रेकर्ड प्रस्तावित नजरी नक्शा (परिशिष्ठ–ब) अनुसार शेष विप्रार्थीगण (अपीलांटस के अलावा) द्वारा सही होने से स्वीकार किया है। ऐसी स्थिति में रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखित कथनों अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 14.07.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग को खसरा नम्बर 146 की सम्पूर्ण भूमि मूल खातेदारो को पुनः खातेदारी हक में बहाल किया जाना एवं खसरा नम्बर 165 के खातेदार द्वारा अपनी उजर एतराज प्रस्तुत करने हेतु पर्याप्त अवसर दिये जाने के बावजूद भी अपना पक्ष नहीं रखने के तथा शेष समस्त खातेदारों द्वारा मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने के पारित आदेश को उस सीमा तक संशोधित कर शेष यथावत रखा जाना समुचित प्रतीत होता है कि मौके पर खसरा नम्बर 146 में किसी प्रकार का विद्यमान अथवा चलायमान रास्ता मौके पर उपलब्ध नहीं है, जहां तक समर्पित भूमि खसरा नम्बर 423/25 के लम्बवत दूरी प्रारम्भतः 20 मीटर की दूरी जो डामर सड़क मार्ग से लगी हुई है, जो खसरा नम्बर 146 के खातेदारी खेत में से निकालने अथवा मांग करने की इस्तदुआ है, ऐसी स्थिति में यह उचित प्रतीत होता है कि प्रस्तुत आवेदन के तथ्यों एवं नियमो के अनुसरण में किसी विद्यमान एवं चलायमान रास्ते के रूप में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सिणधरी

उपयोग में आने वाली भूमि को ही रास्ते के रूप में उनकी खातेदारी में दर्ज किये जाने के प्रावद्यान है। चूंकि हस्तगत प्रकरण में डामर सड़क मार्ग से लगती हुए खसरा नम्बर 146 में अधिकमत 20 मीटर भूमि की मांग अपीलांट के अलावा प्रार्थी एवं शेष विप्रार्थीगण द्वारा की गई है, उसके लिए नियमानुसार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए के अन्तर्गत प्रावद्यान निहित है, जिसके लिए संबंधित पक्षकार अलग के आवेदन प्रस्तुत करते हुए विधिवत नये मार्ग की आवश्यकता के अनुसार मांग करने हेतु स्वतंत्र है।, परन्तु इस आवेदन के तथ्यों एवं नियमों के अनुरूप नये मार्ग हेतु मांग नहीं कर सकते है।

लिहाजा उपरोक्त तथ्यों के विवेचन अनुसार रिमाण्ड प्रकरण में पक्षकारान की तलबी एवं उस पर उभयपक्ष की बहस एवं मोखित कथनों तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत मौका जांच रिपोर्ट अनुसार न्यायालय निर्णय दिनांक 14.07.2022 के सलंग्न स्वीकृत प्रस्तावित भूमि का नजरी नक्शा का भू–भाग जो मौके पर बारहमासी चलायमान रास्ता जो कि आस–पास के निवासियों के लिए आवागमन की सुगमता को दृष्टिगत रखते हुए गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने में अपीलांट के ग्राम लोहिड़ा के खसरा नम्बर 146 की रास्ते के रूप में कटाण समग्र भूमि पुनः उनकी खातेदारी में बहाल कर की जाती है। तहसीलदार सिणधरी शेष अमलदरामद यथावत रखते हुए तद्नुसार खसरा नम्बर 146 भूमि अपीलांटस के खाते में पुनः दर्ज करते हुए राजस्व रेकर्ड में तद्नुसार अमलदरामद करना सुनिश्चित करे तथा न्यायालय निर्णय दिनांक 14.07.2022 के शेष प्रावद्यानों को यथावत कायम रखा जाता है।

13/8/24

(जगदीश सिंह आशिया)
उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

निर्णय आज दिनांक 13.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी,सिणधरी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Singh Ashiya
Date: 2024.09.04 16:26:06 IST
Reason: SelfAttested